

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अप्रैल, 2021-चैत्र-19, शके 1943

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

STATE BAR COUNCIL OF MADHYA PRADESH
(Statutory Body Constituted Under the Advocates Act, 1961)
High court Premises, Jabalpur (M.P.)

SBCOFMP/Supdt/Election BCI/704/2021/

7th March, 2021

Part- I

NOTIFICATION

In the term of rule 8 of Advocate Act, 1961 after completion of the election process; the State Bar Council of Madhya Pradesh in its first Meeting dated 21st November, 2021 has unanimously resolved to elect the Hon'ble Member as the office bearers of the council.

Dr. Vijay Kumar Chaudhary
Advocate,
Chairman,
State Bar Council of Madhya Pradesh,
E- 2/144 Arera Colony, Bhopal (M.P.).

Part- II

NOTIFICATION

In the term of rule 8 of Advocate Act, 1961 after completion of the election process; the State Bar Council of Madhya Pradesh in its Third Meeting dated 6th March, 2021 has unanimously resolved to elect the following Hon'ble Member as the office bearers of the council.

1. Shri R K Singh Saini,
Advocate,
Vice-Chairman,
State Bar Council of Madhya Pradesh,
1762/9, Sangam Sadan, New Shobhapur Colony,
Jabalpur (M.P.).

2. Smt. Rashmi Ritu Jain,
Advocate,
Treasurer,
State Bar Council of Madhya Pradesh,
23/123 Veer Bhavan, Varni Colony,
Sagar (M.P.).

Part - III

NOTIFICATION

In the term of part II Chapter I of Bar Council of India Rules and Section 4 (1) C of Advocate Act, 1961. It is hereby notified that the Hon'ble Member Pratap Mehta has been elected as a representative member of the Bar Council of India from the state of Madhya Pradesh, dated 7th March 2021.

Shri Pratap Mehta,
Advocate,
Member Bar Council of India,
State Bar Council of Madhya Pradesh
21, Dushera Maidan, Ujjain (M.P.).

:
(817)

PRASHANT DUBEY,
Secretary.

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शासकीय एवं अशासकीय अभिलेख में मेरा नाम सुनील बरैया अंकित है जबकि मेरे आधार कार्ड एवं बैंक खाते में मेरा नाम सन्नी बरैया है. वास्तव में दोनों नाम मेरे ही हैं. भविष्य में मुझे सन्नी बरैया के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(सुनील बरैया)

नया नाम :
(सन्नी बरैया)
पुत्र-श्री दर्शनलाल बरैया,
वोडाफोन टावर के पास,
न्यू जाग्रति नगर, वार्ड 37, लक्ष्मीगंज,
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.)

(05-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी सर्विस बुक में जमा मार्कशीट एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र में मेरा नाम फूलसिंह कतिया दर्ज है. जबकि मेरा वास्तविक नाम फूलसिंह बारसिया, जाति कतिया है जो मेरे अन्य शासकीय दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, बैंक पास बुक इत्यादि में दर्ज है. अतः भविष्य में मुझे फूलसिंह बारसिया नाम से ही जाना जावे.

पुराना नाम :
(फूलसिंह कतिया)

नया नाम :
(फूलसिंह बारसिया)
पता-सुपर ई-170, वार्ड क्र. 03,
सारनी, जिला बैतूल (म.प्र.).

(07-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम हेमसिंह पिता नीमसिंह दर्ज है. मैं, अपने सभी दस्तावेजों में अपना नाम हेमसिंह चौहान पिता नीमसिंह दर्ज कराना चाहता हूं. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए पहचाना जाए.

पुराना नाम :
(हेमसिंह)

नया नाम :
(हेमसिंह चौहान)
पिता नीमसिंह,
सुपर ई-1016, वार्ड क्र. 09,
सारनी, जिला बैतूल (म.प्र.).

(08-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पूर्व मेरा नाम नयनतारा शर्मा (Nayantara Sharma) पुत्री बृजबिहारी शर्मा था, जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों, पेन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि दस्तावेजों में दर्ज है। शादी के बाद मेरा नाम बदलकर नयना परांडे (Nayana Parande) पत्नी विक्रम परांडे हो गया है। भविष्य में मुझे मेरे नये नाम नयना परांडे (Nayana Parande) से जाना, पहचाना, पढ़ा-लिखा व समझा जावे।

पुराना नाम

(नयनतारा शर्मा)

(NAYANTARA SHARMA)

(04-बी.)

नया नाम

(नयना परांडे)

(NAYANA PARANDE)

पता- परांडे का बाड़ा, बालाबाई का बाजार,
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.)**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही एवं वास्तविक नाम लक्ष्मीकांत पालीवाल है जो कि मेरे आधारकार्ड, पेनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस एवं मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है। यह कि लक्ष्मीकांत पालीवाल एवं अतुल कुमार नाम मेरे अर्थात् एक ही व्यक्ति के हैं मुझे लक्ष्मीकांत पालीवाल के नाम से पढ़ा व समझा जाये।

पुराना नाम :

(अतुल कुमार)

(01-बी.)

नया नाम :

(लक्ष्मीकांत पालीवाल)

पुत्र-स्व. श्री कौशल कुमार पालीवाल,
निवासी- म.न. 204, ग्राम पीपलगोन,
तहसील कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र.)**नाम परिवर्तन**

मैं, श्रीमती नीलम अतरोलिया पत्नी श्री राकेश, आयु 45 वर्ष व्यवसाय गृहकार्य, पता-पारदी मोहल्ला, शिन्दे की छावनी, लशकर ग्वालियर की निवासी हूँ। मेरा पुराना नाम सुशीला था जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड में मेरा नाम नीलम पत्नी राकेश दर्ज है। अब मैंने अपना नाम सुशीला से बदलकर नीलम अतरोलिया पत्नी राकेश रख लिया है। सुशीला, नीलम तथा नीलम अतरोलिया मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं। भविष्य में मुझे नीलम अतरोलिया के नाम से जाना, पहचाना, पढ़ा-लिखा, समझा जावे।

पुराना नाम :

(सुशीला)

(02-बी.)

नया नाम :

(नीलम अतरोलिया पत्नी राकेश)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि जन्म से मेरा नाम सुरेश कुमारी मढालिया पुत्री श्री जोगीराम मढालिया जो कि मेरे समस्त अंकसूची एवं पहचान संबंधी दस्तावेजों में अंकित रहा है। विवाह के पश्चात् मैंने अपना नवीन नाम शुभा श्रीवास्तव पत्नी श्री प्रदीप श्रीवास्तव निवासी- 187, बांदरी करोती, तहसील मालथौन, जिला सागर म.प्र. है। मुझे मेरे नवीन नाम से ही वर्तमान एवं भविष्य में जाना, पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(सुरेश कुमारी मढालिया)

पुत्री श्री जोगीराम मढालिया

(03-बी.)

नया नाम :

(शुभा श्रीवास्तव)

पत्नी श्री प्रदीप श्रीवास्तव,
निवासी- 187, बांदरी करोती,
तहसील मालथौन, जिला सागर (म.प्र.)**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नरेन्द्र राय पुत्र श्री श्याम लाल राय निवासी ए.बी. रोड मोतीझील रेलवे क्रासिंग के पास ग्वालियर मेरे पुत्र का नाम पूर्व में ओमार्जीत राय था अब भविष्य में मेरे पुत्र (परिवर्तित नाम) रूद्राक्ष राय पुत्र नरेन्द्र राय के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में रूद्राक्ष राय के नाम से जाना, पहचाना जाएगा।

अभिभावक :

(नरेन्द्र राय)

पुत्र श्याम लाल राय,
निवासी-ए.बी. रोड, मोतीझील, रेलवे क्रासिंग,
ग्वालियर (म.प्र.)

(843-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री पी. एस. रेसीडेंसी जिसका पंजीयन क्र. 02/41/01/00039/13 जो कि 31-05-2013 से पंजीयत है जिसमें दिनांक 10-12-2020 भागीदार श्री प्रकाशचंद जैन पुत्र श्री लक्ष्मीचंद जैन, निवासी महल रोड, शिवपुरी का स्वर्गवास हो जाने के कारण फर्म से पृथक हो गए हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स पी. एस. रेसीडेंसी
पवन कुमार जैन,
(भागीदार)
रिलायंस इंफोकॉम के पास,
वायपास रोड, शिवपुरी.

(820-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री पी. एस. स्टोन जिसका पंजीयन क्र. 02/41/01/0154/018 जो कि 29 सितम्बर, 2018 से पंजीयत है जिसमें दिनांक 23-01-2021 को श्री गोरव जैन पुत्र श्री दिनेश जैन, निवासी बायपास रोड, शिवपुरी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स पी. एस. स्टोन
पवन कुमार जैन,
(भागीदार)
वायपास रोड, शिवपुरी.

(822-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स राम हाईटेक मेडीकल जो कि 06 पत्रकार कॉलोनी गुना में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 02/40/01/0361/21 दिनांक 10-03-2021 है जो दिनांक 04-04-2018 से प्रभावशील है जिसमें दिनांक 05-03-2021 को भागीदार श्री राजकुमार सिंह रघुवंशी पुत्र श्री गजराज सिंह रघुवंशी निवासी हीराबाग कॉलोनी गुना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गए हैं एवं इसी दिनांक 05-03-2021 को श्री डॉ युधिष्ठिर सिंह रघुवंशी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

फर्म- मैसर्स राम हाईटेक मेडीकल
सुनीता रघुवंशी,
(पार्टनर)
06, पत्रकार कॉलोनी, गुना.

(853-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के आधीन रजिस्टर्ड फर्म M/s PREM DEVELOPER पता 16-17, GURUKRIPA PLAZA, ZONE-II M.P. NAGAR BHOPAL (M.P.) पंजी.क्र. 01/01/01/0176/20 वर्ष 2020-21 दिनांक 04-10-2020 की रचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं.

दिनांक 05-03-2021 को फर्म का नाम परिवर्तन कर M/s PREM DEVELOPERS किया गया है.

M/s PREM DEVELOPERS,
VIVEK JAIN
(Partner)
1, Nirmal Enclave, Lalghati,
Bhopal.

(855-बी.)

आम सूचना

भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा-72 के अन्तर्गत सूचना यह है कि मेसर्स श्री कंस्ट्रक्शन छतरपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 06/12/01/00081/09 है जो कि दिनांक 14-12-2009 से पंजीयन है. जिसका कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-374 (बी) और नियम 4(1) के अंतर्गत CIN No. U45203MP2021PTC054790 दिनांक 06-02-2021 को कंपनी में परिवर्तन किया गया है. अतः इस कारण से साझेदारी फर्म का विघटन किया गया है जो कि 18-02-2021 से प्रभावी होगा.

M/s Shri Construction,
SUBHASH PANDAY,
AMIT CHANSHORIA,
(Partner).

(06-बी.)

विविध**न्यायालयों की सूचनाएं**

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, सीहोर

प्र.क्र. 0001/बी-113/2020-21.

आवेदक श्री विजय सिंह ठाकुर आ. श्री घीसीलाल ठाकुर, राकेश पाटीदार आ. श्री देवनारायण पाटीदार एवं अन्य 12 निवासीगण श्यामपुर, जिला सीहोर द्वारा मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम 1951 के नियम-4 के अंतर्गत देवस्थान श्री चौपड़ा हनुमान मंदिर ट्रस्ट, मेन रोड श्यामपुर, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का लोक न्यास पंजीयन कराने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि उक्त देवस्थान श्री चौपड़ा हनुमान मंदिर ट्रस्ट, मेन रोड श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन लोक न्यास में किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा आक्षेप हो तो वह अपनी आपत्ति मेरे न्यायालय में दिनांक 18 अप्रैल, 2021 तक न्यायालयीन समय में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. बाद म्याद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 16 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

रवि वर्मा,

(202)

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ऑफ ट्रस्ट तराना, जिला उज्जैन

तराना, दिनांक 24 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश जन न्यास अधिनियम की धारा-5 (1) एम 5 (2) के अन्तर्गत]

क्र./रजि.प.ट्रस्ट/2021/42.—आवेदक अध्यक्ष उमिया परिसर न्यास माकडोन तहसील माकडोन द्वारा आवेदन पत्र म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 के अंतर्गत प्रस्तुत कर “श्री उमिया परिसर न्यास माकडोन, तहसील माकडोन को म.प्र. लोक न्यास में पंजीकरण करने हेतु प्रस्तुत किया है.

अतः उक्त न्यास से संबंधित कोई व्यक्ति जो न्यास अथवा अनुसूचित में वर्णित चल/अचल सम्पत्ति में हित या रूचि रखता हो तो आपत्ति अथवा सुझाव इस न्यायालय में विज्ञप्ति प्रकाशन तिथि से एक माह के अंदर अथवा प्रकरण में नियम दिनांक 22 अप्रैल, 2021 तक स्वयं अथवा अपने अभिभाषक या मुख्यायाम के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम : श्री उमिया परिसर न्यास माकडोन, तहसील माकडोन
वर्तमान पता : श्री उमिया परिसर न्यास माकडोन, तहसील माकडोन

सम्पत्ति का विवरण : ट्रस्ट न्यास की चल/अचल सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है:-

- | | | | |
|----|--------------|---|--|
| 1. | चल सम्पत्ति | : | निरंक |
| 2. | अचल सम्पत्ति | : | ग्राम माकडोन, तहसील तराना, जिला उज्जैन
पहन 14 में स्थित सर्वे न. 540 रकागा 0.04 541
रकबा 0.05, 542 रकबा 0.09, 543 रकबा 0.05 हे |

एकता जायसवाल,
अनुविभागीय अधिकारी.

(203)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 10 मार्च, 2021

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/351.—यह कि निम्नलिखित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के विगत कई वर्षों से लगातार अकार्यशील होने से संस्था को चालू करने हेतु सदस्यों द्वारा रूचि नहीं ली जाने से तथा प्रबंधक, इंदौर सहकारी दुग्ध संघ इंदौर शाखा दुग्ध शीत केन्द्र खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/991/प्र./2021 खण्डवा दिनांक 25 जनवरी, 2021 से संस्थाओं को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की जाने से संस्थाओं को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है:-

1. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया अथवा कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं पंजीकृत उपविधियों के अधीन निर्धारित नियमों, उद्देश्यों तथा पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था सदस्यों द्वारा समयावधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने हेतु रूचि नहीं ली जा रही है.

अतः मैं, श्रीमती मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी एवं संचालक मण्डल के सदस्यों तथा संस्था सदस्यों को यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे. अपना अभ्यावेदन 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में प्रस्तुत किया जावे अन्यथा निर्धारित समयावधि उपरांत संस्था को परिसमापन में लाया जावेगा.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणगांव	2216/14-03-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिझगांव	2358/06-02-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दगड़खेड़ी	2363/06-02-2016
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुमठी	2396/10-01-2018
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मकड़कच्छ	2419/10-09-2018
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बायफल	2415/02-07-2018
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बामंदा	1963/12-05-2006
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नर्मदानगर	2161/15-09-2011

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(204)

खण्डवा, दिनांक 10 मार्च, 2021

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/352.—यह कि निम्नलिखित सहकारी समितियों के विगत कई वर्षों से लगातार अकार्यशील होने से संस्था को चालू करते हेतु सदस्यों द्वारा रूचि नहीं जी जाने से, अंकेक्षकों द्वारा संस्थाओं को परिसमापन में लाये जाने की अनुशांसा की जाने से सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाये जाने हेतु संस्थाओं के अध्यक्षों, पदाधिकारियों, संचालक मण्डल को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2021/33 दिनांक 14 जनवरी, 2021 के द्वारा सूचित किया गया था किंतु किसी भी संस्था द्वारा अपना अभ्यावेदन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. इस हेतु संस्थाओं को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित निम्न कारणों से परिसमापन लाया जाना उचित प्रतीत होता है:-

1. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया अथवा कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं पंजीकृत उपविधियों के अधीन निर्धारित नियमों, उद्देश्यों तथा पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था सदस्यों द्वारा समयावधि में संचालन मण्डल के निर्वाचन कराने हेतु रूचि नहीं ली जा रही है.

अतः मैं, श्रीमती मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित सहकारी समितियों को परिसमापन में लाती हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के समक्ष उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

क्र.	संस्था का नाम क्रमांक एवं दिनांक	पंजीयन	नियुक्त परिसमापक का नाम	रिर्माक
1.	मां रेवा मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, ओंकारेश्वर	230/11-07-2007	श्री मोहनलाल चौहान, उप-अंकेक्षक	
2.	श्री हरिहर आदिवासी विस्थापित मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, हथनोरा (किल्लोद)	2234/02-08-2013	श्री आर.एम. बिश्नोई, सहकारी निरीक्षक	
3.	मां नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कोठी	1944/06-10-2005	श्री एम.एल. अरणे, सहकारी निरीक्षक	
4.	जनकल्याण प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, खण्डवा	1438/22-12-1990	श्री जी.पी. नागवंशी, उप-अंकेक्षक	
5.	सिद्धि विनायक क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा	1860/09-07-2002	श्री एच.सी. महाजन, सहकारी निरीक्षक	
6.	मलगांव बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारिता संस्था मर्यादित, मलगांव, पोस्ट टेमीकला	2348/19-08-2010	श्री एच.सी. महाजन, सहकारी निरीक्षक	
7.	मां रेवा रेत खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्यादित, बिल्लौराखुर्द	2214/05-03-2013	श्री जी.पी. नागवंशी, उप-अंकेक्षक	
8.	जगदम्बा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा	1189/08-11-1979	श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक	
9.	सद्गुरू परस्पर साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा	1652/15-07-1997	श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक	

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मीना डाबर,
उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्था मर्या., विदिशा

विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./20./क्यू:- निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70(1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्रीराम मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., पठारी	264/28-03-1985	1510/25-06-1992
2.	खनिज उद्योग श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., पठारी	351/16-11-1990	590/30-04-2016
3.	हीरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिहोरा	978/07-01-1915	741/09-06-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम-1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 04 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(206)

अनिल अहिरवार,
उप-अंकेक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/602.— जिले में स्थित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेन्दुरजना पंजीयन क्रमांक 791, दिनांक 28 अप्रैल, 2012 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 1526, दिनांक 05 मई, 2016 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेन्दुरजना पंजीयन क्रमांक 791, दिनांक 28 अप्रैल, 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(207)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/603.— जिले में स्थित नरसला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नरसला पंजीयन क्रमांक 789, दिनांक 28 अप्रैल, 2012 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की

अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत नरसला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नरसला पंजीयन क्रमांक 789, दिनांक 28 अप्रैल, 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(208)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/604.— जिले में स्थित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुंगसिया पंजीयन क्रमांक 708, दिनांक 24 जनवरी, 2009 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 458, दिनांक 26 मार्च, 2013 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुंगसिया पंजीयन क्रमांक 708, दिनांक 24 जनवरी, 2009 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(209)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/605.— जिले में स्थित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जामुनडोंगा पंजीयन क्रमांक 707, दिनांक 24 जनवरी, 2009 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 458, दिनांक 26 मार्च, 2013 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जामुनडोंगा पंजीयन क्रमांक 707, दिनांक 24 जनवरी, 2009 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(210)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/606.— जिले में स्थित मातारानी फल-फूल साग सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उदादौन पंजीयन क्रमांक 995,

दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत मातारानी फल-फूल साग सब्जी सहकारी समिति मर्या., उदादौन पंजीयन क्रमांक 995, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(211)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/608.— जिले में स्थित मां निर्मला बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिरस पंजीयन क्रमांक 944, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत मां निर्मला बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिरस पंजीयन क्रमांक 944, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(212)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/609.— जिले में स्थित आदर्श फल-फूल सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डुंगरिया पंजीयन क्रमांक 952, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत आदर्श फल-फूल सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डुंगरिया पंजीयन क्रमांक 952, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

जी. एस. डेहरिया,

उप-पंजीयक,

(213)

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 24 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/381.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/825, दिनांक 07 जुलाई, 2020 के द्वारा परि. कुबेर साख सहकारी समिति मर्यादित, बीजनवाडा, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 3055, दिनांक 27 नवम्बर, 2010 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एस.एस. पगारे, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंसशीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा परि. कुबेर साख सहकारी समिति मर्यादित, बीजनवाडा, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 3055, दिनांक 27 नवम्बर, 2010 के निगमित (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(214)

होशंगाबाद, दिनांक 24 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/382.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1155, दिनांक 20 सितम्बर, 2020 के द्वारा परिसमापन गोकुल ग्राम विकास सहकारी समिति मर्यादित, डूमर, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2858, दिनांक 05 जुलाई, 2005 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एस.एस. पगारे, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंसशीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा परिसमापन गोकुल ग्राम विकास सहकारी समिति मर्यादित, डूमर, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2858, दिनांक 05 जुलाई, 2005 के निगमित (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(215)

होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/402.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/471, दिनांक 16 मार्च, 2020 के द्वारा परिसमापन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पतलईकलां जिला होशंगाबाद का पंजीयन क्रमांक 3107, दिनांक 20 मई, 2014 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री पुनीत रघुवंशी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी/देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा परिसमापन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पतलईकलां जिला होशंगाबाद का पंजीयन क्रमांक 3107, दिनांक 20 मई, 2014 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 01 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(216)

होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/403.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/471, दिनांक 16 मार्च, 2020 के द्वारा परि. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सोनखेडी, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 3201, दिनांक 09 जून, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री पुनीत रघुवंशी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंसशीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा परि. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सोनखेडी, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 3201, दिनांक 09 जून, 2015 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 01 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(217)

बी. एस. परते,
डिप्टी रजिस्ट्रार.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अप्रैल, 2021-चैत्र-19, शके 1943

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

निरंक